

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

ENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant

<u>a</u> 0

An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

Fax: 0484-2668468

दिनांक Date: 17/06/2019

Ph: 0484-2666861-64/774/776

F.No. S65/02/2019.CCU.Cus

कार्यालय आदेश संख्या Office Order No. 04/2019

एतद्वारा आर टी आई मामलों के संबंध में ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह पाया गया कि आर टी आई से संबंधित मामलों का निपटान समय सीमा में और उचित परिश्रम के साथ नहीं किया जाता है। सभी आर टी आई मामलों को संबंधित सी पी आई ओ द्वारा निपटाया जाना चाहिए न कि संबंधित अन्भागों द्वारा।

Kind attention is invited to the RTI related matters. It has been noticed that the RTI related matters are not disposed of within time limit and with due diligence. All the RTI matters should be disposed of by the designated CPIOs and not by the concerned sections.

सभी अनुभाग प्रमुखों को यह निर्देश दिया गया है कि संबंधित सभी आर टी आई मामलों/आवेदनों के लिए, संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि करने के बाद बिंदुवार तार्किक और सही टिप्पणियाँ/उत्तर, निर्दिष्ट सी पी आई ओ को संकलन के लिए और संबंधित आवेदक को जवाब अग्रेषित करने के लिए कार्यालय नोट पर, सी पी आई ओ को आर टी आई मामलों / आवेदनों की प्राप्ति की तारीख के 15 दिनों के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि कोई विशेष आर टी आई आवेदन या आर टी आई मामला अनुभाग से संबंधित नहीं है, तो उसे तुरंत नामित सी पी आई ओ को सूचित किया जाना चाहिए क्योंकि ये सभी मामले समयबद्ध हैं और विलंब के होने पर आर टी आई अधिनियम, 2005 के तहत सी पी आई ओ पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।

All the sections head are hereby directed that for all the RTI related matters/ applications, the point-wise logical and correct comments/reply after verifying the relevant documents, should be provided to the designated CPIOs on an Office Note within 15 days of the date of receipt of the RTI matters/applications to the CPIOs, for the compilation and forwarding the reply to the respective applicant. If any particular RTI Application or RTI

matter does not pertains to the section, it should be immediately intimated to the designated CPIOs as all these matters are time bound and delay in which may lead to penal action on the CPIOs under the RTI Act, 2005.

हस्ता Sd-/

(सुमित कुमार Sumit Kumar, IRS) सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

//सत्यापित Attested//

(बैज् डेनियल Baiju Daniel) मूल्यनिरूपक अधिकारी (सी सी यूनिट)Appraising Officer(CCU)

प्रतिलिपि Copy to:

1.आयुक्त की फाईल/ सूचना पट्ट/अपलोड करने हेतु ई डी आई अनुभाग को Commissioner file/Notice Board/EDI for uploading.
2.सभी उपआयुक्त/आयुक्त/अनुभाग/सी एफ एस /पी ए डी All DCs/ACs/Sections/CFS/PAD.

EDT